न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या एक, धौलपुर (राज॰)

पीठासीन अधिकारी :— डॉ0 नीरू सोनी, आर.जे.एस.

फौजदारी नियमित प्रकरण सं. :— 682/2017

सी.आई.एस. सं. :— 682/2017

एफ.आई.आर सं. :— 402/2006 थाना कोतवाली

राजस्थान राज्य सरकार

......अभियोगी

बनाम

1. कल्लू पुत्र भीमसैन निवासी ग्राम बड़ापुरा मोराली थाना कोतवाली धौलपुर।
2. गौतम पुत्र श्री गब्बर सिंह निवासी तिघरा का पुरा थाना सदर धौलपुर। **(फौत—12.12.2017)**
3. जगमोहन पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी शेखपुर थाना दिहौली जिला धौलपुर। **(मफरूर)**
4. धर्मेन्द्र पुत्र श्री भरतसिंह निवासी लोहगढ़ थाना नुराबाद जिला मुरैना म.प्र.। **(मफरूर)**
5. सुरेश गिरी पुत्र श्री हुकम गिरी निवासी टांडा थाना मनियां जिला धौलपुर।
6. नेमीचन्द्र पुत्र श्री शंकर सिंह निवासी कोड़ा का पुरा थाना गढ़ीबाजना जिला भरतपुर।**(मफरूर)**
7. जोगेन्द्र पुत्र श्री रामबिलास निवासी मसूदपुरा थाना सरायछौला जिला मुरैना म.प्र **(मफरूर)**
8. बनवारी पुत्र श्री गादीपाल निवासी भढ़ोरा थाना सरायछौला जिला मुरैना म.प्र.।**(मफरूर)**
9. रामदीन पुत्र श्री हरीसिंह निवासी पिपरई थाना सरायछौला जिला मुरैना म.प्र.।**(मफरूर)**
10. ऐदल सिंह पुत्र श्री गब्बर सिंह निवासी घंटाघर रोड़ धौलपुर।
11. धीरसिंह पुत्र श्री रामदीन निवासी मसूदपुर थाना सरायछौला जिला मुरैना म.प्र**(मफरूर)**
12. जयकेश पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी घंटाघर रोड़ धौलपुर।**(मफरूर)**
13. बृजकिशोर पुत्र श्री महादेवसिंह निवासी तिघरा का पुरा थाना सदर धौलपुर।**(मफरूर)**
14. कृष्णपाल सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी सिंधी कॉलोनी थाना कोतवाली मुरैना।**(मफरूर)**
15. कप्तान सिंह पुत्र श्री ऐदल सिंह निवासी गुर्जर कॉलोनी धौलपुर।**(मफरूर)**

16. हंसराज पुत्र श्री राजााराम निवासी बिंडवा चम्बल थाना सरायछौला जिला मुरैना म.प्र **(मफरूर)**

..........अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 379, 120बी, 420, 467 भा.दं.सं. व धारा 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधि. 1972

उपस्थित :–

1– राज्य की ओर से – रामप्रकाश कश्यप ।

2– अभियुक्त कल्लू की ओर से – अधिवक्ता श्री रामदीन गुर्जर।

अभियुक्त सुरेश गिरी की ओर से – अधिवक्ता श्री अमित सिंह बघेला।

अभियुक्त ऐदल सिंह की ओर से – अधिवक्ता श्री ओमवीर सिंह गुर्जर।

–: निर्णय :– **दिनांक 09.05.2022**

सर्वप्रथम थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, धौलपुर द्वारा जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी के दिनांक 27.12.2006 को अभियुक्तगण कल्लू, गौतम, जगमोहन, धर्मेन्द्र, सुरेश गिरी, नेमीचंद, जोगेन्द्र, बनवारी, रामदीन, ऐदल सिंह, धीर सिंह, जयकेश, बृजकिशोर, कृष्णपाल सिंह, कप्तान सिंह, हंसराज के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 379, 120बी, 420, 467 भा.दं.सं. व धारा 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधि. 1972 के तहत आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2 के समक्ष पेश किया गया तथा वहां से पत्रावली माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश के आदेश से क्रमांक स्था./2009/12 से अंतरित होकर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर तथा वहां से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश क्रमांक 61 से अंतरित होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग सं. 3 धौलपुर के समक्ष अंतरित हुई तथा वहां से माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश के आदेश क्रमांक 56 से अंतरित होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर को एवं वहां से माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश के आदेश क्रमांक 116 से इस न्यायालय को अंतरित हुई जिसे पंजीबद्ध कर प्रकरण का आज निस्तारण किया जा रहा है।

संक्षिप्त विवरणानुसार दिनांक 24.12.2006 को एक तहरीरी रिपोर्ट परिवादी एसएचओ जलसिंह ने थाना कोतवाली, धौलपुर उपस्थित होकर इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 24.12.2006 को समय 8:05 पी.एम. पर यह मय रामजीलाल एएसआई, श्री राजकुमार एएसआई, कानि. हाकिम सिंह 412, सीटी छोटे लाल 105, सीटी मोहन लाल 99, श्याम सिंह 829, सीटी कृष्ण अवतार 873, सीटी प्रभूदयाल 663, भगवानदास 521 मय जीप सरकारी चालक साहब सिंह 63 मुखबीर की सूचना पर अवैध चम्बल रेता बजरी निकासी हेतु थाना से रवाना हुए तो जीटी रोड धौलपुर वाटर वर्क्स चौराहे पर चम्बल नदी घड़ियाल क्षेत्र से मौरोली घाट से भरकर 7–8 ट्रक आते हुए दिखाई दिए जिन्हें बावर्दी पुलिस द्वारा रूकवाया गया तो सभी ट्रकों में रेता/बजरी अवैध भरी मिली। ट्रक चालक आरजे 11 जी 0583 से नाम–पता पूछा तो अपना नाम कल्लू पुत्र श्री भीम सैन जाति गुर्जर उम्र 20 साल निवासी बड़ापुरा व दूसरे ट्रक नं. आरजे 11 जीए 1061 ने गौतम पुत्र श्री गब्बर सिंह जाति गुर्जर उम्र 22 साल निवासी तिघरा का पुरा थाना सदर तीसरे ट्रक आरजे 11 जीए 0696 ने जगमोहन पुत्र श्री मोहन सिंह जाति गुर्जर उम्र 22 साल निवासी सेखूपुर थाना दिहौली चौथे ट्रक नं. एमपी 06 ई 4001 ने धर्मेन्द्र पुत्र श्री भारत जाति गुर्जर उम्र 19 साल निवासी लोहगढ़ थाना नूरावाद मुरैना पांचवे ट्रक आरजे 11 जीए 0042 ने सुरेश पुत्र श्री हुकम गिरी जाति गोस्वामी उम्र 38 साल निवासी टांडा थाना मनियां छठवें ट्रक नं. एमपी 06 ई 4988 ने नेमीचंद पुत्र शंकर सिंह जाति गुर्जर उम्र 22 साल निवासी कोडापुरा थाना गढ़ीबाजना भरतपुर व मालिक रामदीन पुत्र श्री हरीसिंह गुर्जर निवासी पिपरई थाना सरायछौला मौजूद था, भागने में सफल हो गया। सातवे ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0084 ने जोगेन्द्र पुत्र श्री रामविलास जाति गुर्जर उम्र 20 साल निवासी मसूदपुर थाना सरायछौला मुरैना बताया तथा आठवे ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0443 का चालक भागने में सफल हो गया। उक्त आठों ट्रकों में भरी चम्बल रेता बजरी गीली मिली को वहां से लाने बाबत पूछा गया तो सभी ट्रक चालकों ने बताया कि ट्रक मालिकों द्वारा मौरोली घाट से चम्बल घड़ियाल क्षेत्र से भरवाकर लेकर आना बताया। उक्त ट्रक चालकों से चम्बल रेता/बजरी गीली ले जाने बाबत रवैन्ना वैद्य पास मांगा तो नही होना बताया। अभियुक्तगण कल्लू, गौतम, जगमोहन, धर्मेन्द्र, सुरेश गिरी, नेमीचंद, जोगेन्द्र व ट्रक मालिकों द्वारा षड़यंत्र रचकर चम्बल घड़ियाल क्षेत्र मौरोली घाट से चम्बल रेता/बजरी गीली उपरोक्त ट्रकों में भरकर लाना जुर्म धारा 29/51 वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम 1972 व धारा 379, 120बी भा.द.सं. की तारीफ में आना पाए जाने पर ट्रकों को मय रेता/बजरी गीली के मौके पर बरूये फर्द जब्ती जब्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया तथा उपरोक्त

मुल्जिमानों को बरूये फर्द गिरफ्तार किया गया। बाद कार्यवाही मौके से रवाना होकर मय मुल्जिमान मय फर्दात के वापस थाना आये.........आदि। उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली, धौलपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 402/2006 अपराध अंतर्गत धारा 379, 420, 467 120बी भा.दं.सं. व धारा 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अनुसंधान पश्चात् अभियुक्तगण कल्लू, गौतम, जगमोहन, धर्मेन्द्र, सुरेश गिरी, नेमीचंद, जोगेन्द्र, बनवारी, रामदीन, ऐदल सिंह, धीर सिंह, जयकेश, बृजकिशोर, कृष्णपाल सिंह, कप्तान सिंह, हंसराज के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 379, 420, 467 120बी भा.दं.सं. व धारा 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आरोप पत्र पेश न्यायालय किया गया।

धारा 207 दं.प्र.सं. की पालना की गयी। अभियुक्तगण के प्रति आरोप अंतर्गत धारा 379, 420, 467, 120बी भा.दं.सं. व धारा 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रसंज्ञान लिया गया।

अभियुक्त गौतम की मृत्यु हो जाने से दिनांक 12.12.2017 को अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है तथा अभियुक्तगण जगमोहन, धर्मेन्द्र, नेमीचन्द्र, जोगेन्द्र, बनवारी, रामदीन, धीरसिंह, जयकेश, बृजकिशोर, कृष्णा, कप्तान सिंह व हंसराज मफरूर है। प्रकरण में अब निर्णय अभियुक्तगण कल्लू, सुरेश गिरी, ऐदल सिंह के विरूद्ध किया जा रहा है। उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 379, 420, 467, 120बी भा. दं.सं. व धारा 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये समझाये गये जिन्हें अभियुक्तगण ने सुन–समझ कर आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.1 श्री छोटेलाल, पी.डब्लू.2 दाउजीप्रसाद शर्मा, पी.डब्लू.3 मोहन लाल, पी.डब्लू.4 सत्यपाल, पी.डब्लू.5 भगवानदास, पी. डब्लू.6 कमल सिंह, पी.डब्लू.7 रामजीलाल, पी.डब्लू.8 कृष्णअवतार, पी.डब्लू.9 श्री कृष्ण, पी. डब्लू.10 भंवर सिंह, पी.डब्लू.11 शौकत अली, पी.डब्लू.12 राजकुमार को परीक्षित करवाया जाकर बयान लेखबद्ध किए गए। प्रलेखीय साक्ष्यों में फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम कल्लू प्रदर्श पी.1, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम गौतम प्रदर्श पी.2, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम जगमोहन प्रदर्श पी.3, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम धर्मेन्द्र प्रदर्श पी.4, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम सुरेश गिरी प्रदर्श पी.5, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम नेमीचंद प्रदर्श पी.6, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम जोगेन्द्र प्रदर्श पी.7, फर्द जब्ती ट्रक आरजे 11 जीए 0042 प्रदर्श पी.8, फर्द जब्ती ट्रक आरजे 11 जीए

0084 प्रद ा पी.9, फर्द जब्ती ट्रक आरजे 11 जीए 0443 प्रदर्श पी.10, फर्द जब्ती ट्रक एमपी 06 ई 4001 प्रद ा पी.11, फर्द जब्ती ट्रक आरजे 11 जीए 0696 प्रदर्श पी.12, फर्द जब्ती ट्रक आरजे 11 जीए 0583 प्रद ा पी.13, फर्द जब्ती ट्रक एमपी 06 ई 4988 प्रदर्श पी.14, फर्द जब्ती ट्रक आरजे 11 जीए 1061 प्रदर्श पी.15, नक्शा मौका प्रदर्श पी.16, फर्द जब्ती नं. प्लेट ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0042 प्रदर्श पी.17, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम बनवारी प्रदर्श पी.18, पुलिस बयान मोहनलाल 161 सीआरपीसी प्रदर्श पी.18, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम धीर सिंह प्रदर्श पी.19, नक्शा निशानदेही प्रदर्श पी.19, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम ऐदल सिंह प्रदर्श पी.20, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम जयकेश प्रदर्श पी.21, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम रामदीन प्रदर्श पी.22, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम बृजकिशोर प्रदर्श पी.23, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम कप्तान सिंह प्रदर्श पी.24, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम श्री कृष्णपाल सिंह प्रदर्श पी.25, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम हंसराज प्रदर्श पी.26, फर्द जब्ती ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0942 प्रदर्श पी.27, पुलिस बयान रामजीलाल 161 सीआरपीसी प्रदर्श पी.28, फर्द जब्ती ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0082 प्रदर्श पी.28, फर्द इत्तला प्रदर्श पी.28, नेशनल परमिट प्रदर्श पी.29, असल बीमा प्रदर्श पी.30, ट्रक नम्बरी आरजे 11 जीए 0084 का फोटो प्रदर्श पी.31 व पी.32, ट्रक नम्बरी आरजे 11 जीए 0942 के फोटो प्रदर्श पी.33 व पी.34, चार्जशीट प्रदर्श पी.35, मजमून रिपोर्ट प्रदर्श पी.36, रपट रोजनामचा प्रदर्श पी.37, चाक एफआईआर प्रदर्श पी.38 को पेश किया गया। तत्पश्चात् अभियोजन साक्ष्य समाप्त घोषित की गयी।

अभियुक्तगण को द.प्र.सं. की धारा 313 के अन्तर्गत परीक्षित किया गया तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया और साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया।

बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण का कथन है कि पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर उसे आरोपित अपराध में संबंद्ध किया जा सके। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्तगण से जब्त रेता चंबल नदी घड़ियाल प्रतिबन्धित क्षेत्र से लाया गया जिसकी चोरी करने पर वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास की क्षति कारित हुई हो। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिससे यह साबित हो कि अभियुक्तगण द्वारा कूटरचना कारित की गई हो। मुख्य साक्ष्य में पुलिस गवाहान के अतिरिक्त किसी भी स्वतंत्र गवाह को परीक्षित नहीं करवाया गया है। अभियोजन द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर

अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कराया जाकर अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया। अंत में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है अतः उसे कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी जाकर न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण के निस्तारणार्थ विचारणीय बिन्दू यह हैं कि –

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 24.12.2006 को समय 08:05 पी.एम. या उसके पूर्व किसी समय मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक या अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति व सहमति के बिना राष्ट्रीय चंबल नदी घडियाल प्रतिबंधित क्षेत्र शंकरपुरा घाट से वन संपदा रेता/बजरी को बेईमानीपूर्वक आशय से उक्त ट्रकों से रेता ले जाकर चोरी कारित की और वन्य जीव घड़ियाल के प्राकृतिक आवास को क्षति या नाश कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक व समय को जब्त किए गए ट्रक पर कूटरचित नं. प्लेट लगाकर छल कारित किया तथा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अवैध कार्य करने हेतु आपराधिक षड़यंत्र रचा?

2. यदि हां तो अभियुक्तगण किस दंड का पात्र होगा ?

दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्तगण पर आक्षेपित आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष के ऊपर होता है। उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 379, 420, 467, 120बी भा.दं.सं. एवं धारा 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन आरोपों को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन एवं मूल्यांकन निम्नानुसार किया जा रहा है।

गवाह पी.ड.1 छोटे लाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 24.12.2006 को यह जाब्ते के साथ 7 पीएम पर थाने से रवाना होकर अवैध रेता बजरी की रोकथाम हेतु 7.30 पीएम पर वाटर बॉक्स चौराहे पर पहुंचे। 7.45 पीएम पर 7–8 ट्रक आए जिन्हें कोतवाल साहब ने रोका। सभी ट्रक तिरपाल से ढके

हुए थे। उन्हें चैक किया तो उनमें अवैध चम्बल गीला रेता मिला। कोतवाल ने चालकों का नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम कल्लू, गौतम, जगमोहन, सुरेश, धर्मेन्द्र, नेमीचंद व योगेन्द्र बताया। ट्रक सं. में आठ थे जिनमें एक ट्रक चालक भाग गया। उक्त से रॉयल्टी रवन्ना के बारे में पूछा तो उन्होंने नहीं होना बताया। उक्त चालकों ने बताया कि मालिकों के कहने से ये चम्बल प्रतिबंधित घाट से रेता भरकर लाए है तथा आगरा बेचने जा रहे है। सभी ट्रकों को मौके पर जब्त किया व अभियुक्तगण को जरिये फर्द गिरफ्तार किया। फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण प्रदर्श पी.1 लगायत प्रदर्श पी.7 है। फर्द जब्ती ट्रक प्रदर्श पी.8 लगायत प्रदर्श पी.15 है। नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी.16 व फर्द जब्ती नं. प्लेट ट्रक प्रदर्श पी.17 है।

गवाह पी.ड.2 दाऊजीप्रसाद शर्मा ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वर्ष 2006 में यह हल्का पटवारी मौरोली के पद पर कार्यरत था। इसने कभी कभी चम्बल नदी घड़ियाल क्षेत्र से ट्रैक्टर टोली में लोगों को रेता निकालकर ले जाते देखा है।

गवाह पी.ड.3 मोहनलाल ने न्यायलय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 24.12.2006 को कोतवाल जलसिंह को मिली सूचना कि मौरोली मोड़ की तरफ से 7—8 रेता के ट्रक आ रहे है। उक्त सूचना पर ये जलसिंह के साथ मय जाब्ता वाटर बॉक्स चौराहें धौलपुर पहुंचे। समय करीब 8.45 पीएम पर 7—8 ट्रक आते हुए दिखाई दिए जो तिरपाल से ढके हुए थे। कोतवाल साहब ने उनको रूकवाकर चैक किया तो ट्रकों में गीला रेता चम्बल का भरा हुआ था। चालकों से उक्त रेता के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इन लोगों के मालिकों ने मौरोली रोड़ से चम्बल रेता लाने के लिए बोला है जिसके बाबत उक्त चालकों से रॉयल्टी रवन्ना के बारे में पूछा तो उन्होंने नहीं होना बताया। चालकों का उक्त कृत्य धारा 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व 379, 120बी भा.द.सं. की तारीफ में आने पर उक्त 8 ट्रक को मौके पर ही जब्त किया व सातों चालकों को मौके से गिरफ्तार किया। एक चालक मौके से भाग गया था। गवाह ने बयान प्रदर्श पी.18 का ए से बी भाग सही होना बताया। फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त कल्लू, गौतम, जगमोहन, धर्मेन्द्र, सुरेश गिरी, नेमीचंद, जोगेन्द्र प्रदर्श पी.1 लगायत पी.7 है। फर्द जब्ती ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0042, फर्द जब्ती ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0084, फर्द जब्ती ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0443, फर्द जब्ती ट्रक नं. एमपी 06 ई 4001, फर्द जब्ती ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0696, फर्द जब्ती ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0583, फर्द जब्ती ट्रक नं. एमपी 06 ई 4988, फर्द जब्ती ट्रक नं. आरजे 11 जीए 1061 प्रदर्श पी.8 लगायत पी.15 है।

गवाह पी.ड.4 सत्यपाल सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 25.12.2021 को शौकत अली एएसआई ने इसके व श्री कृष्ण के समक्ष ट्रक चालक बनवारी को गिरफ्तार किया जो प्रदर्श पी.18 है।

गवाह पी.ड.5 भगवानदावस ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 26.12.2006 को रामजीलाल एएसआई ने इसके व सत्यपाल की मौजूदगी में कल्लू, गौतम व अन्य मुल्जिमान की निशानदेही से नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी.19 है।

गवाह पी.ड.6 कमल सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 28.12.2006 को शौकत अली एएसआई ने इसके व कांस्टेबल भंवर सिंह के समक्ष अभियुक्त धीर सिंह, ऐदल, जैकेश, रामदीन को जरिये फर्द गिरफ्तार किया जो प्रदर्श पी.19 लगायत पी.22 है। उसी दिन अभियुक्त ब्रजकिशोर, कप्तान कृष्णपाल सिंह को जरिये फर्द गिरफ्तार किया, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.23 लगायत पी.25 है। दिनांक 29.12.2006 को इसके समक्ष अभियुक्त हंसराज को जरिये फर्द गिरफ्तार किया जो प्रदर्श पी.26 है। दिनांक 28.12.2006 को शौकत अली ने इसके व भंवर सिंह के सामने ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0942 की आरसी व उसी दिनांक को ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0082 के कागजात को जरिये फर्द जब्त किया जो प्रदर्श पी.27 लगायत पी.28 है।

गवाह पी.ड.7 रामजीलाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 24.12.2006 को मुखबीर की सूचना पर यह जाब्ते के साथ थाने से रवाना होकर 7.30 पीएम पर वाटर बॉक्स चौराहे पर पहुंचे, 8.45 पीएम पर चम्बल नदी की तरफ 8 ट्रक मय तिरपाल लगाए हुए दिखाई दिए जिन्हें एसएचओ ने रूकवाया और ट्रकों को चैक किया तो उसमें रेता–बजरी भरी हुई थी जिसके बाबत उनके पास रॉयल्टी व रवन्ना नहीं था। ट्रक चालकों ने बताया कि उनके मालिकों ने बजरी–रेता को ट्रकों में भरकर आगरा बेचने के लिए भिजवाई है। मौके पर सभी ट्रक चालकों को गिरफ्तार किया जिसमें से एक चालक मौके का फायदा उठाकर भाग गया। आठों ट्रकों को मय रेता–बजरी जब्त किया। वापसी पर एसएचओ साहब ने मुकदमा दर्ज कराया। गवाह ने बयान 161 प्रदर्श पी.28 के ए से बी भाग को सुनकर सही होना बताया।

गवाह पी.ड.8 कृष्ण अवतार ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 24.12.2006 को ये जाब्ता के साथ अवैध रेता–बजरी की कार्यवाही

हेतु थाने से रवाना होकर 7.30 पीएम पर वाटर बॉक्स चौराहे पर पहुंचे। समय 7.45 पीएम पर 7–8 ट्रक तिरपाल से ढके हुए चम्बल नदी की तरफ से आते हुए दिखाई दिए जिनको एसएचओ ने रूकवाया। ट्रक नं. आरजे 11 जी 0583 के चालक का नाम कल्लू, ट्रक नं. आरजे 11 जीए 1061 के चालक का नाम गौतम, ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0696 के चालक का नाम मोहन, ट्रक नं. एमपी 06 एफ 4001 के चालक का नाम धर्मेन्द्र, ट्रक नं. आरजे 11 जीएच 0042 के चालक का नाम सुरेश, ट्रक नं. एमपी 06 ई 4948 के चालक का नाम नेमीचंद, ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0084 के चालक का नाम जोगेन्द्र था तथा ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0443 का चालक मौके से भाग गया। पकड़े गए चालकों से ट्रक में भरी हुई बजरी के बारे में पूछा तो सभी ने अपने–अपने मालिकों के कहने पर चम्बल नदी मौरोली घाट से भरकर लाना बताया जिसके बाबत उनके पास कोई रॉयल्टी व रवन्ना नहीं पाया गया। उक्त चालकों के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र चम्बल नदी से चोरी–छिपे रेता–बजरी भरकर लाने पर कोतवाल ने सभी आठों ट्रकों को मौके पर जब्त किया व इन सातों चालकों को मौके पर ही गिरफ्तार किया। दिनांक 25.12.2006 को इसके सामने घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी.16 है व फर्द जब्ती नं. प्लेट आरजे 11 जीए 0042 व आरजे 11 जीए 0084 प्रदर्श पी.17 है।

गवाह पी.ड.9 श्री कृष्ण ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 25.12.2006 को मुकदमा नं. 402/2006 में शौकत अली ने इसके व सत्यपाल के समक्ष बनवारी को थाने से बरूये फर्द गिरफ्तार किया जो प्रदर्श पी.8 है।

गवाह पी.ड.10 भंवर सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 28.12.2006 को मुकदमा नं. 402/2006 में शौकत अली ने धीर सिंह, कल्लू, योगेन्द्र, हंसराम को गिरफ्तार किया था तथा आगे के मुल्जिम के नाम इसे याद नही है। उक्त गवाह ने यह भी कथन किया कि दिनांक 28.12.2006 को 6 मुल्जिम व 29. 12.2006 को 1 मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया था। उक्त गवाह को एपीओ के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। एपीओं के द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि इसके समक्ष दिनांक 28.12.2006 को अभियुक्त धीर सिंह, जयकेश, रामदीन, ऐदल सिंह, ब्रजकिशोर, कप्तान सिंह व कृष्णपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी धीर सिंह प्रदर्श पी.19, ऐदल सिंह प्रदर्श पी.20, जयकेश प्रदर्श पी.21, रामदीन प्रदर्श पी.22, हंसराज प्रदर्श पी.26, ब्रजकिशोर प्रदर्श पी.23 है। शौकत अली ने इसके सामने चालक सुरेश गिरी से ट्रक नम्बरी आरजे 11 जीए 0942 की आरसी व ट्रक नम्बरी आरजे 11 जीए 0942 के बीमा को जब्त किया था जो प्रदर्श पी.27 है। उक्त ट्रक के

आगे–पीछे प्लेटों पर आरजे 11 जीए 0042 लिखा हुआ था। दिनांक 28.12.2006 को ट्रक नम्बरी आरजे 11 जीए 0082 के चालक जोगेन्द्र ने आईओ के समक्ष उक्त ट्रक की आरसी की छाया प्रति दी एवं असल आरटीओ के पास चालान होना बताया। उक्त ट्रक पर लगी आगे–पीछे की प्लेटों पर आरजे 11 जीए 0084 लिखा हुआ था। ट्रक का मालिक कप्तान सिंह पुत्र ऐदल सिंह लिखा हुआ था। प्रदर्श पी.27 में ट्रक का मालिक हंसराज पुत्र राजाराम लिखा हुआ था।

गवाह पी.ड.11 शौकत अली ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 24.12.2006 को इसे मुकदमा नं. 402/2006 की तफतीश हेतु सुपुर्द की गई। दौराने अनुसंधान इसने मुल्जिम बनवारी को बरूये फर्द जब्त किया जो प्रदर्श पी. 18 है व मुल्जिम धीर सिंह, ऐदल सिंह, जैकेश, रामदीन, ब्रजकिशोर, कप्तान सिंह, कृष्णपाल को बरूये फर्द दिनांक 28.12.2006 को गिरफ्तार किया। फर्द गिरफ्तारी मुल्जिमान प्रदर्श पी.19 लगायत प्रदर्श पी.25 है। दिनांक 25.12.2006 को इसने छोटे लाल व कृष्ण अवतार की निशानदेही से नक्शा मौका घटना स्थल बनाया जो प्रदर्श पी.16 है। गवाहों के बयान इसने उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। मुल्जिमान बनवारी, गौतम, सुरेश गिरी, कल्लू, नेमी, जोगेन्द्र, जगमोहन व धर्मेन्द्र की निशानदेही से नक्शा तस्दीक किया जो प्रदर्श पी.19 है। दिनांक 27.12.2006 को उक्त अभियुक्तगण के द्वारा इसे साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी गई। फर्द इत्तला धारा 27 प्रदर्श पी.28 है। दिनांक 28.12.2006 को अभियुक्त सुरेश गिरी के द्वारा इसके समक्ष रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र ट्रक नम्बरी आरजे 11 जीए 0942 तथा बीमा पेश किया जिसे इसने जरिये फर्द जब्त किया जो प्रदर्श पी.27 है। उक्त दिनांक को ही जोगेन्द्र द्वारा ट्रक नम्बरी आरजे 11 जीए 0082 के दस्तावेज आरसी की छाया प्रति, असल बीमा तथा परमिट इसके समक्ष पेश किया जिसे इसने बरूये फर्द जब्त किया। असल परमिट प्रदर्श पी.25 व असल बीमा प्रदर्श पी.30 है। प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0042 व आरजे 11 जीए 0084 की नं. प्लेट बरूये फर्द जब्त की जो प्रदर्श पी.17 है। ट्रक नम्बरी आरजे 11 जीए 0084 का फोटो प्रदर्श पी.31 व पी.32 है। ट्रक नम्बरी आरजे 11 जीए 0942 के फोटो प्रदर्श पी.33 व पी.34 है। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 379, 120बी, 467, 468 भा.द.सं. व 29/51 वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम में फर्द प्रमाणित मानते हुए पत्रावली के वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु जलसिंह को सुपुर्द किया जिन्होंने न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रदर्श पी. 35 पेश किया। मजमून रिपोर्ट वापसी प्रदर्श पी.36, रवानगी प्रदर्श पी.37 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी.38 है। न्यायालय में जब्तशुदा माल वजह सबूत पेश होने पर गवाह

ने माल को देखकर कहा कि आर्टिकल 1 लगायत आर्टिकल 4 वही माल है जो हस्तगत प्रकरण में उक्त ट्रकों से जब्त किए गए थे।

गवाह पी.ड.12 राजकुमार ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 24.12.2006 को समय 7 पीएम पर जलसिंह एसएचओ के साथ वास्ते नाकाबंदी मय जाब्ता रवाना हुए एवं 7.30 पीएम पर वाटर बॉक्स चौराहे पहुंचे, 7.45 पीएम पर 8–7 गाड़ी चम्बल की तरफ से आई जिन्हें हाथ देकर रूकवाया अथवा सभी गाड़ी में चम्बल नदी का गीला रेता भरा हुआ था जिसके बाबत चालकों के पास कोई रॉयल्टी व रवन्ना नहीं होना पाया गया। 7 चालकों को मौके पर गिरफ्तार किया गया व एक चालक भाग गया था। एसएचओ ने मौके पर ही ट्रकों को जब्त किया व मुल्जिमों को मौके पर ही गिरफ्तार किया।

इस प्रकार गवाह पी.ड.1 छोटेलाल, पी.ड.3 मोहन लाल, पी.ड.7 रामजीलाल, पी.ड.8 कृष्ण अवतार हस्तगत प्रकरण में गश्ती दल के सदस्य होते हुए घटना के चश्मदीद साक्षी है जो मौके पर अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध चम्बल रेता से भरे ट्रक को जब्त किए जाने का सुस्पष्ट रूप से कथन करते है तथा मौके पर अभियुक्तगण कल्लू व सुरेश की मौजूदगी व मौके से उनके गिरफ्तार होने का कथन करते है। गवाह पी.ड.1 छोटेलाल से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि किस नं. के ट्रक को कौन चालक चला रहा था व उन ट्रकों के स्वामी कौन थे यह इसे ध्यान नही है। उक्त घटना से पहले यह किसी भी मुल्जिम को नही जानता था तथा फर्द जब्ती प्रदर्श पी.17 नं. प्लेट 0084 और 0042 से संबंधित थी। गवाह मोहनलाल ने जिरह में कथन किया है कि जहां से ट्रको को पकड़ा वह भीड–भाड़ वाला इलाका था, इसके किसी भी चालक को चम्बल रेता भरते हुए नही देखा। गवाह रामजीलाल ने जिरह में कथन किया है कि किस ट्रक पर कौन चालक था इसे ध्यान नही है। इसे ट्रकों को चम्बल नदी में घुसते, रेता भरते व निकलते नही देखा। इसके समक्ष रेता का कोई सैम्पल नही लिया गया तथा जो ट्रक जब्त किए गए थे, वे किस–किस के नाम थे इसकी जानकारी में नही है। इसने रेता परीक्षण का कोई कॉर्स नही किया है। गवाह कृष्ण अवतार ने जिरह में कथन किया है कि किस ट्रक को कौन चला रहा था व जब्तशुदा ट्रक के मालिक कौन थे इसकी जानकारी में नही है। इसने किसी को भी चम्बल नदी में घुसते, निकलते व रेता भरते हुए नही देखा। इसके समक्ष रेता का सैम्पल नही लिया गया एवं वन विभाग के अधिकारी को भी नही बुलाया गया। गवाह भंवर सिंह ने जिरह में कथन किया है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी.27 पर इसके हस्ताक्षर नही है। फिर गवाह ने खुद से कथन किया कि उक्त जब्ती पर इसके हस्ताक्षर

है। उक्त जब्ती के समय ट्रक के चालक ने आरसी पेश की थी जिसका नं. आरजे 11 जीए 0042 था। इस प्रकार उक्त गवाहों के बयानों से न्यायालय का निष्कर्ष है कि गवाह छोटेलाल ने मुख्य परीक्षा में ट्रक चालक के नाम स्पष्ट रूप से जाहिर किए है लेकिन जिरह में गवाह ने कथन किया है कि आज यह नही बता सकता कि किस नं. के ट्रक पर कौन चालक था। गवाह मोहनलाल ने मुख्य परीक्षा में एपीओ द्वारा ट्रक के नं. व चालक के नाम उक्त गवाह से कंफर्ट कराए जाने पर ट्रक चालक व ट्रकों का नं. स्वंय के बयान प्रदर्श पी.18 के ए से बी भाग को सुनकर उसमे सही अंकित होना बताया है। उक्त गवाह ने जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि यह अपने पुलिस बयान को देखकर ही ट्रकों के नं. व चालकों के नाम बता सकता है। गवाह रामजीलाल ने अपने मुख्य परीक्षा में स्वयं के पुलिस बयान प्रदर्श पी.28 के भाग ए से बी को सुनकर उसमें अंकित मुल्जिमानों के नाम व ट्रक का नं. सही होना जाहिर किया है जबकि जिरह में उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि किस ट्रक को कौन चालक चला रहा था इसकी जानकारी में नही है। गवाह कृष्ण अवतार ने अपने मुख्य परीक्षा में ट्रकों के नं. व चालकों के नाम स्पष्ट रूप से बताए है लेकिन जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि यह चालक का नाम व ट्रक का नं. नही बता सकता है। इस प्रकार गवाह मोहनलाल व रामजीलाल एपीओ द्वारा कंफर्ट कराए जाने पर ट्रकों के नं. व चालकों के नाम न्यायालय के समक्ष बताए है तथा गवाह छोटेलाल अभियुक्तगण के नाम तो बताता है लेकिन किस ट्रक को कौन अभियुक्त चला रहा था, इस संबंध में कोई स्पष्ट रूप से कथन नही करता है। इसी प्रकार गवाह कृष्ण अवतार अपने मुख्य परीक्षा में ट्रकों के नं. व चालकों के नाम स्पष्ट रूप से बताता है लेकिन जिरह में स्पष्ट रूप से कथन करता है किस ट्रक को कौन चालक चला रहा था इसकी जानकारी में नही है एवं घटना का अन्य चश्मदीद साक्षी भंवर सिंह हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा जिरह में भी जब्ती प्रदर्श पी.27 के संबंध में भी भिन्न–भिन्न कथन करता है तथा गवाह राजकुमार जो हस्तगत प्रकरण का चश्मदीद साक्षी है अपनी मुख्य परीक्षा में 8–7 गाड़ी जिनमें चम्बल नदी का गीला रेता भरा होने तथा मौके पर 7 चालको को गिरफ्तार किए जाने का साधारण रूप से कथन करता है। उक्त गवाह के द्वारा गाड़ी कौन–सी थी व इनके नं. क्या थे तथा उक्त गाड़ी के कौन चालक थे इस संबंध में कोई कथन नही करता है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि घ टना के सबसे महत्वपूर्ण गवाह जलसिंह जो हस्तगत प्रकरण का परिवादी है फौत हो जाने के कारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित नही हुआ है।

गवाह शौकत अली जो प्रकरण के अनुसंधानकर्ता अधिकारी है, अपने मुख्य परीक्षा में बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु सीआई जलसिंह को सुपुर्द किए जाने का सुस्पष्ट रूप से कथन करते है लेकिन जिरह में उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि इसने जब्तशुदा प्लेट को सील मोहर नही किया था। जिस स्थान से ट्रकों जब्त किया था वह स्थान चम्बल घड़ियाल क्षेत्र नही था एवं इसे ऐदल सिंह ने ट्रक की आरसी व बीमा जब्त नही कराया था। इस प्रकार शौकत अली ने मुख्य परीक्षण में ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0942 एवं ट्रक नम्बरी आरजे 11 जीए 0084 के नं. प्लेटे जरिये फर्द जब्त किए जाने का कथन किया है एवं ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0942 की आरसी जरिये फर्द जब्त किए जाने एवं ट्रक नं. आरजे 11 जीए 0082 के दस्तावेजात आरसी की छाया प्रति असल बीमा तथा परमिट जब्त किए जाने का कथन किया है लेकिन अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा उक्त ट्रक पर लगी प्लेटे फर्जी होने एवं अभियुक्तगण के द्वारा ही उनकी कूटरचना की गई हो तथा उक्त ट्रकों के असल नं. प्राप्त कर उनके मालिक या आरटीओ से कोई अनुसंधान किया गया हो, इस संबंध में ऐसा कोई कथन नही किया है तथा इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित नही कराया है जिससे अभियुक्तगण के द्वारा कूटरचना कारित की गई हो, जो संदेह से परे साबित हो। इसके अतिरिक्त जब्तशुदा ट्रक में भरा हुआ रेता अवैध चम्बल रेता हो इस संबंध में भी अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा कोई अनुसंधान किया गया हो ऐसा जाहिर नही होता है। उक्त चम्बल रेता के संबंध में किसी रेता विशेषज्ञ से अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा परीक्षण कराया गया हो ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश नही हुआ है।

गवाह पी.ड.2 दाउजीप्रसाद औपचारिक गवाह है जिसके बयानों से घटना की कोई ताईद नही होती है। गवाह भगवानदास नक्शा मौका बनाए जाने का औपचारिक गवाह है। इसी प्रकार गवाह कमल सिंह फर्द गिरफ्तारी व फर्द जब्ती कागजात का गवाह है जो जिरह में स्पष्ट रूप से कथन करता है कि जब्त किए गए कागज सुरेश व ऐदल के नाम पर थे या नही एवं उक्त कागजात किसके नाम पर थे ये तथ्य इसकी जानकारी में नही है। गवाह सत्यपाल एवं श्रीकृष्ण अभियुक्त बनवारी की गिरफ्तारी का औपचारिक गवाह है।

इस प्रकार उक्त सभी गवाहों के बयानों का समग्रतापूर्वक विवेचन किए जाने से न्यायालय का निष्कर्ष है कि हस्तगत प्रकरण के परिवादी जलसिंह फौत होने के कारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित नही हुआ है तथा घटना के चश्मदीद साक्षी मौके पर अवैध

चम्बल रेता से भरे हुए ट्रक को जब्त किए जाने का कथन करते है लेकिन उक्त ट्रक में चम्बल नदी का रेता भरा हुआ हो इस संबंध में किसी रेता विशेषज्ञ से रेता परीक्षण कराया गया हो ऐसा कोई कथन नही करते है तथा उक्त रेता के पहचान बाबत अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा भी ऐसा कोई अनुसंधान किया गया हो, अनुसंधानकर्ता अधिकारी के बयानों से जाहिर नही होता है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी के बयानों से यह भी जाहिर नही होता है कि जब्तशुदा प्लेट की कूटरचना के संबंध में अभियुक्तगण के द्वारा कूटरचना की गई हो ऐसा कोई साक्ष्य दौराने अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा संकलित किया गया हो तथा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब्तशुदा प्लेट न्यायालय के समक्ष अनशील्ड अवस्था में पेश हुई थी जो हस्तगत प्रकरण में की गई कार्यवाही में संदेह उत्पन्न करती है। इस प्रकार अभियोजन अधिकारी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

अतः अभियोजन अधिकारी यह तथ्य कि अभियुक्तगण ने आपराधिक षड़यंत्र कर दिनांक 24.12.2006 को समय 8 पीएम पर चम्बल घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक या अन्य किसी सक्षम अधिकारी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से उनके संज्ञान एवं चैतन्यशील कब्जे से सरंक्षित वन्य जीव घड़ियाल के प्राकृतिक आवास व आश्रय स्थल को क्षति एवं नाश कारित करने के उद्येश्य से ट्रक में चम्बल बजरी/रेता भरकर ले गए तथा जब्तशुदा ट्रक पर बेईमानीपूर्वक एवं कपटपूर्वक नं. प्लेट की कूटरचना कर छल कारित किया हो, संदेह से परे असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उन पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379, 420, 467, 120बी भा.द.सं. तथा 29/51 वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

–:: **आ दे श** ::–

परिणामतः अभियुक्तगण 1. कल्लू पुत्र भीमसैन निवासी बड़ापुरा मोराली थाना कोतवाली धौलपुर 2. सुरेश गिरी पुत्र श्री हुक्म गिरी निवासी टांडा थाना मनियां जिला धौलपुर 3. ऐदल सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह निवासी घंटाघर रोड़ धौलपुर को धारा 379, 420, 467, 120बी भा.द.सं. तथा 29/51 वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में पेश किए गए जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है।

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त गौतम की मृत्यु हो जाने से दिनांक 12.12.2017 को अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है तथा अभियुक्तगण जगमोहन, धर्मेन्द्र, नेमीचन्द्र, जोगेन्द्र, बनवारी, रामदीन, धीरसिंह, जयकेश, बृजकिशोर, कृष्णा, कप्तान सिंह व हंसराज मफरूर है इसलिए पत्रावली के सरवरक पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जाए कि पत्रावली का कोई भाग नष्ट नही किया जाए।

(डॉ0 नीरू सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–एक,
धौलपुर (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 09.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

(डॉ0 नीरू सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–एक,
धौलपुर (राज.)

सजा के प्रश्न पर सुना गया—

उभय पक्षकारान को दंड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है, अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई अंकन पत्रावली पर मौजूद नहीं है, अभियुक्त गरीब, मजदूरपेशा व्यक्ति होकर वह परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। अतः उसे परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। इस बावत पृथक से शपथ पत्र पेश किया। इसके विपरीत विद्वान ए.पी.ओ ने यह तर्क दिया है कि अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप है उसने चंबल नदी घडियाल प्रतिबंधित क्षेत्र से वन संपदा रेता बजरी को चोरी कर वन्य जीव घड़ियाल के प्राकृति आवास को क्षति पहुॅचाई है अतः अभियुक्त को कारावास की सजा से दण्डित किया जावे। उभय पक्षकारान को सुना गया। अभियुक्त वर्ष 2017 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। उसके विरूद्ध पूर्व में कोई दोषसिद्धि होने का प्रमाण नहीं है। अतः अभियुक्त को उक्त दोषसिद्ध अपराध में तुरंत कारावास की सजा से दंडित किये जाने की बजाय जुर्माने से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।.

:— दण्डादेश :—

परिणामतः अभियुक्त हरीओम पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी भमरौली थाना सदर धौलपुर को धारा 379 भा.दं.सं. व धारा 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आरोपित अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर धारा 379 भा.दं.सं. में 1500/–रू. अर्थदण्ड अदम अदायगी अर्थदण्ड 02 दिवस के साराधारण कारावास एवं धारा 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आरोप में 1000/–रू. के अर्थदण्ड से, अदम अदायगी अर्थदण्ड 02 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है।

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व में ही सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है बाद गुजरने म्यांद अपील सुपुर्दगीनामा/जमानतनामा स्वतः निरस्त समझे जावे।

अभियुक्त द्वारा पूर्व में पेश किये जमानत मुचलके नियमित उपस्थिति बाबत निरस्त किये जाते हैं।

(डॉ0 नीरू सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–एक,
धौलपुर (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

(डॉ0 नीरू सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–एक,
धौलपुर (राज.)